न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02 / 2021 (2021 / 3) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—पारसदेवी पुत्री सोहनलाल पत्नि माधुलाल निवासी पनोतिया हाल निवासी कोढियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़

प्रार्थीया

बनाम

1—हेमन्त आत्मज मदनलाल नाबाबेवि जरिये माता माहनीदेवी निवासी पनोतिया तहसील रायपुर
2—नरेश आत्मज मदनलाल नाबाबेवि जरिये माता माहनीदेवी निवासी पनोतिया तहसील रायपुर
3—हेमी पुत्री मदनलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—माहनीदेवी पत्नि मदनलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीया
2. मुकेश चौधरी — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांकः—22.07.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते है जो सभी सोहनलाल आत्मज नारायण शर्मा के वारीसान है। ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के दादा व विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के पड़दादा व विपक्षी संख्या 4 के दादीया सुसर नारायण शर्मा के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी संख्या 551 खाता संख्या 111 व आराजी संख्या 335 / 1, 335 / 2 खाता संख्या 112, आराजी संख्या 9, 930 / 3 खाता संख्या 113, आराजी संख्या 769 / 1 खाता संख्या 108, आराजी संख्या 357 खाता संख्या 109, आराजी संख्या 472 खाता संख्या 110, आराजी संख्या 914 खाता संख्या 104, आराजी संख्या 930 / 2 खाता संख्या 105, आराजी संख्या 604 खाता संख्या 106, आराजी संख्या 890 / 1, 844, 894 / 1च, 888 / 1, 646, 443, 548, 556, 645, 655, 853, 858, 916, 856 / 2 खाता संख्या 107 पर अन्य सहखातेदारान के साथ स्थित थी। उनकी मुत्यु होन पर नामान्तरकरण संख्या 1150 से प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज हुई। उक्त वर्णित भुमियो के नवीन भू प्रबन्ध होने से नवीन नम्बर 544, 585, 586, 1204, 1210, 1327, 1328, 1337, 1546, 1555, 1559, 1561, 1598, 1631 कुल किता 14 कुल रकबा 4.74 है0 भूमि खाता संख्या 480 पर व आराजी संख्या 982, 983 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 खाता संख्या 481 पर तथा आराजी संख्या 1562 खाता संख्या [illegible] पर [illegible] 1693, 1697, 1699 कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 है0 खाता संख्या 483 पर [illegible] आराजी संख्या 1004 खाता संख्या 484 पर तथा आराजी संख्या 1122, 1123, 1124, 1125 [illegible] किता 4 कुल रकबा 0.17 है0 खाता संख्या 485 पर एवं आराजी संख्या 1207 [illegible] पर एवं [illegible] संख्या 1465 खाता संख्या 487 पर तथा आराजी संख्या 534, [illegible] 542, 543 कुल [illegible] कुल रकबा 1.91 है0 खाता संख्या 488 पर तथा आराजी संख्या 1278 रकबा 0.39 है0 खाता संख्या 489 पर आराजी संख्या 1548 रकबा 0.06 है0 खाता संख्या 502 पर दर्ज है व कायम किये गये। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:10 IST
Reason: SelfAttested

वादवर्णित भूमिया प्रार्थीया की मौरूषी है जिनमें प्रार्थीया का जन्म से ही हिस्सा निहित है। सोहनलालजी के 1 प्रार्थीया पुत्री व 1 पुत्र मदनलाल है जिसमें मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसान विपक्षीगण 1 लगायत 4 है जिनका वादवर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा है। वादवर्णित भूमियो में सोहनलालजी का 1/3 हिस्सा है जिससे प्रार्थीया का 1/6 निहित है। जिसके खातेदारी घोषणा प्रार्थीया करवाने की अधिकारी है। विपक्षी संख्या 4 ने प्रार्थीया की अनुपस्थिति में प्रार्थीया के पिता सोहनलालजी की मानसिक व शारिरीक स्थिति ठीक नही होने का नाजायज फायदा उठाते हुए दिनांक 02.04.2019 को उक्त वाद वर्णित आराजियात व अन्य सम्पतियो की गिप्ट डीड अपने पक्ष में निष्पादित करवा दस्तावेज पंजीयन करवा लिया गया जो प्रार्थीया के मुकाबले आरम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। विपक्षीया 4 ने प्राथीया के पिता की मानसिक व शारीरिक स्थिति ठीक नही होने का नाजायज फायदा उठाकर अवैध एवं धोखेस्पद तरीके से वाद वर्णित सम्पतियो में निहित सोहनलाल के सम्पूर्ण हिस्से की गिप्ट डीड अपने पक्ष में, (प्रार्थीया का हिस्सा होते हुए भी तन्हा रूप से) निष्पादित करवा पंजीबद्व करवा ली है जिसके आधार पर प्रार्थीया को वादवर्णित भूमियों में निहित उसके हक व हिस्से की भूमियों से बेदखल करने उन्हे खुर्द बुर्द करने एवं उन्हे हस्तान्तरित करने की धमकिया दे रही है जिससे विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूलवाद के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया का प्रथम दुष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है तथा वादवर्णित भूमि को खुर्द बुर्द या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित कर देंगे तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण उक्त वादवर्णित आराजियात में निहित सोहनलालजी के हिस्से में निहित प्रार्थीया के 1/2 हक व हिस्से की भूमियो से प्रार्थीया को बेदखल नही करे व भूमि खुर्द बुर्द नही करे तथा किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थीया को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 15.01.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता के जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो का अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया ग्राम पनोतिया की निवासी नही होकर ग्राम कोढियाखेड़ी तहसील कपासन की निवासी है। प्रार्थीया के दादा के नाम दर्ज सहखातेदारी के रूप में दर्ज हो वह स्वयं साबित करावें। वाद वर्णित भूमियों में प्रार्थीया ने अपना हिस्सा जर जैवर व मायरा लेकर प्राप्त कर लिया अब कोई हक हिस्सा प्रार्थीया का शेष नही है। उक्त भूमि में प्रार्थीया ने सीधे ही 1/2 हिस्सा होना बताया है जबकि प्रार्थीया ने यह नही बताया कि उक्त भूमि सोहनलालजी को [illegible] शान्ति, सीता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग से दी गई [illegible] होकर स्वअर्जित भूमियां है। उक्त भूमियों को सोहनलाल ने विपक्षी[illegible]टर्ड दान पत्र निष्पादित करवा उक्त विवादग्रस्त भूमि का मालिकाना हक विपक्षीया को दिया है। प्रार्थीया ने तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि नारायणलाल द्वारा छोड़ी गई सम्पति में सोहनलाल का 1/7 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:10 IST
Reason: SelfAttested

बनता है एवं शेष हिस्सा सोहनलाल को उनकी बहनो ने दिया है। जब प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है कुलिया हिस्से का दान पत्र सोहनलाल ने विपक्षीया के पक्ष में निष्पादित करा दिया है और जब दान पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा उक्त वादग्रस्त भूमि में नही बनता है। सोहनलालजी की सम्पूर्ण देखभाल, उनके खर्चे, उनकी बिमारी का ईलाज सभी कार्य विपक्षीया द्वारा कराये गये है जिससे ही सोहनलाल प्रसन्न होकर उनकी सम्पति में कोई विवाद नही हो इसके लिये जिवित अवस्था में ही गिफ्ट डीड विपक्षीया के पक्ष में कराया गया है। इसके अलावा भी प्रार्थीया ने अपने हक व हिस्से को छोड़ने के लिये विपक्षी से 40000/–रूपये व एक तोला सोना व लाखो रूपये के कपड़े लते व मेरे ससुर का सारा कियाक्रम विपक्षीया द्वारा कराया गया जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीया मृतक खातेदार श्री सोहनलाल की विधिक वारीस है प्रार्थीया को अन्धरे मे रखकर और प्रार्थीया के पिता को बहला फुसलाकर विपक्षी संख्या 4 के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करवा दिया जो शुरू से ही शुन्य है। प्रार्थीया अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्से की हकदार है प्रार्थीया अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है विपक्षी प्रार्थीया को बेदखल करना चाह रहे है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीया विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीया को मायरा, एवं नकदी व अन्य जेवरात दे दिया गया है फिर भी प्रार्थीया अपना नाजायज हक जमाने का प्रयास कर रही है। विपक्षीगण के पक्ष में मृतक खातेदार द्वारा प्रसन्न होकर उनकी सम्पति उन्होने अपनी जिवित अवस्था में विपक्षीया के पक्ष में गिफ्ट डीड निष्पादित करवा दी जिससे विपक्षी संख्या 4 मालिक होकर खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मृतक खातेदार सोहनलाल के नाम दर्ज रेकार्ड होकर सोहनलाल की पैतृक भूमि है। मृतक सोहनलाल के नाम दर्ज भूमि में मृतक सोहनलाल के विधिक वारीसानो का हक व हिस्सा निहित है। मृतक खातेदार सोहनलाल के विधिक वारीसान में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता एवं विपक्षी संख्या 4 के पति श्री मदनलाल जो दोनो भाई बहिन है. जो उक्त विवादित भूमि के हकदार होते है। श्री मदनलाल के फोत होने से मदनलाल के विधिक वारीसान विपक्षीगण है। मृतक सोहनलाल के नाम दर्ज भूमि में [illegible] एवं विपक्षीगणो का 1/2 हिस्सा बनता है। मृतक सोहनलाल के द्वारा सम्पूर्ण भू[illegible] संख्या 4 के पक्ष में जरिये गिफ्ट डीड के भूमि देते हुए दस्तावेज पंजीयन [illegible] अनुसार नही होकर प्रार्थीया के मुकाबले शुरू से ही शुन्य है। जहां [illegible] बहस मे कहा कि प्रार्थीया को भूमि के बदले नकदी व जेवर दि[illegible]ष्ट प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया मृतक सोहनलाल की पुत्री होकर मृतक मदनलाल की बहिन है। जहां तक सोहनलालजी की बहिने लेहरी, शान्ति, सीता द्वारा अपने पिता की सम्पति में हक नही लेकर अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:10 IST
Reason: SelfAttested

पिता के विधिक वारीसान में त्याग कर दिया जिससे सोहनलाल के नाम भूमि दर्ज है वो सारी मौरूषी भूमि है। सोहनलाल के द्वारा भूमि को अंगमेहनत या पैसा खर्च करके नही खरीदी है जिससे बहिनो के द्वारा हक त्याग की गई भूमि भी सोहनलाल के नाम दर्ज होने से प्रार्थीया की पैतृक भूमि है। प्रार्थीया अधिवक्ता के द्वारा बहस में जो कथन किया जो उचित है प्रार्थीया मृतक खातेदार की विधिक वारीस होकर जाईन्दा पुत्री है। प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है अगर विपक्षी के द्वारा प्रार्थीया को मौके से बेदखल कर दिया गया या प्रार्थीया के हक की भूमि को खुर्द बुर्द कर दी गई तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति हो सकती है तथा आगे भी कानुनी पेचिदगी बढ़ सकती है जिसको मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर बहक प्रार्थीया विरूद्व विपक्षीगण के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम पनोतिया के नवीन नम्बर 544, 585, 586, 1204, 1210, 1327, 1328, 1337, 1546, 1555, 1559, 1561, 1598, 1631 कुल किता 14 कुल रकबा 4.74 है0 भूमि खाता संख्या 480 पर व आराजी संख्या 982, 983 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 खाता संख्या 481 पर तथा आराजी संख्या 1562 खाता सख्या 482 पर एवं आराजी संख्या 1004 खाता संख्या 484 पर तथा आराजी संख्या 1122, 1123, 1124, 1125 कुल किता 4 कुल रकबा 0.17 है0 खाता संख्या 485 पर एवं आराजी संख्या 1207 खाता संख्या 486 पर एवं आराजी संख्या 1465 खाता संख्या 487 पर तथा आराजी संख्या 534, 535, 542, 543 कुल किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 खाता संख्या 488 पर तथा आराजी संख्या 1278 रकबा 0.39 है0 खाता संख्या 489 पर आराजी संख्या 1548 रकबा 0.06 है0 खाता संख्या 502 पर दर्ज है। उक्त वादवर्णित आराजियात में निहित सोहनलालजी के हिस्से में दर्ज भूमि में प्रार्थीया के 1/2 हक व हिस्से की भूमियो से प्रार्थीया को मौके से बेदखल नही करे एवं विवादित भूमि को खुर्द बुर्द नही करे तथा किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थीया को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.07.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:10 IST
Reason: SelfAttested